न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री निकया गोहाएन, आईए0एस0

मि0न0 02/अपील(आर.टी.आई.)13

गौतमराज आ0 ज्ञानचन्द जैन निवासी बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)
बनाम
01. लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड
02 उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 20.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने लोक सूचना अधिकारी झालावाड़ को दिनांक 20.07.2020 को आवेदन पत्र भिजवाया जाकर निम्न सूचना चाही गई थी:–
उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ से सम्बन्धित

01. दिनांक 11.02.2002 को चालान न0 40 स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर की शाखा झालावाड़ का आपके कार्यालय में किस तारीख को जमा किस मद में कितने रूपये का जमा हुआ(जमा हेाने की तारीख की सूचना देने का श्रम फरमावें।

02. भू रूपान्तरण के लिये कृषि भूमि में जमाबन्दी में प्रार्थी भू रूपान्तरण का नाम होना आवश्यक है या नही?

03 भू रूपान्तरण कृषि भूमि को वाणिज्य हेतु संपरिवर्तन करने हेतु नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट एवं खसरा न0 अंकित होना आवश्यक है या नही ?

04 आपके द्वारा दिनांक 23.05.2008 को मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अंकित रिपोर्ट सही है कि दिनांक 11.02.2002 को श्री बालचन्द आ0 भैरूलाल राठोर के नाम से काई पत्र आदेश डिस्पेच नही हुआ – क्या रिपोर्ट सही है

05 आपके कार्यालय से दिनांक 24.04.09 कमांक 544 को आदेश जारी हुआ वह सही है या गलत?

06 हल्का पटवारी साहब एव नायब तहसीलदार सा0 द्वारा दिनांक 11.02.2002 को अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित कर रिपोर्ट श्रीमान को प्रेषित की कि खसरा न0 579 रकबा 2 बीघा ग्राम बकानी के रूपान्तरण आदेश में सडके के मध्य से 50 पचास फीट छोडकर निर्माण का रूपान्तरण आदेश है। रूपान्तरण आदेश के अनुसार निर्माण कार्य हुआ या नही? आपके आदेश की अवहेलना हुई या नही?

07 तत्कालीन तहसीलदार बकानी से खसरा न0 579 भू रूपान्तरण का रिफरेन्स तैयार करने बाबत आपने आदेश दिया था पंत्र न0 18/3963 दिनांक 21.08.2019 की छाया प्रति देने का श्रम फरमावें।

08 आपके आदेश कमांक सतर्कता/18/3963दिनांक 21.08.2019 के उक्त छाया प्रतिलिपी तहसीलदार सा. तहसील बकानी के दिनांक 31.08.2019 कमांक 2071 की जांच रिपेार्ट मय परिशिष्ट अ,ब,स, की छाया प्रतियां।

09 भू रूपान्तरण रजि0 में दर्ज प्रार्थना पत्र कमों 143 से 149 तक की छाया प्रतिलिपी वर्ष 2001–2002 की छाया प्रति मय तारीख दायरा उनवान प्रार्थी फेसल दिनांक।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 20.10.2020 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी उपस्थित ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पत्रांक 968 दिनांक 16.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 760 दिनांक 20.08.2020 को प्रेषित कर रेकार्ड का अवलोकन करने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु इनके द्वारा वांछित रेकार्ड का अवलोकन नही करने से सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से उक्तानुसार चाही गई सूचना भिजवाई जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है वह सूचना उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 967 दिनांक 16.10.2020 से उपलब्ध कराई जा चुकी है। यंहा हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना नही है, लोक सूचना अधिकारी केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। अपीलान्ट दौराने सुनवाई आज न्यायालय हाजा में भी उपस्थित नही हुए है इससे यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः पत्रावली की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(निकया गोहाएन)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

कमांकः 211-13 /रीडर/25 दिनांक

प्रतिलिपीः–

01.लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर,झालावाड़/उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़
02. गौतमराज आ0 ज्ञानचन्द जैन निवासी बकानी जिला झालावाड

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड